

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2014/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

रेनु लता,
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर (भभुआ), नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी0 चम्पारण (मोतिहारी), प0 चम्पारण (बेतिया), सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बाँका, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि ₹0 5,89,06,400/- (पाँच करोड़ नवासी लाख छः हजार चार सौ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल0 जी0-1-09/2014: लेज 82 एवं 83 दिनांक-24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया है।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 तक के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।

3. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 38 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित

6
राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-253 दिनांक 11.03.2014 एवं पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. आवंटित राशि से पदस्थापित पदाधिकारियों/ कर्मियों के नियमित वेतनादि भुगतान नियमानुसार किया जाय। यदि वित्तीय वर्ष 2014-15 में नियमित वेतनादि भुगतान हेतु कुल योग राशि के पश्चात अवशेष बचे राशि से जौंचोपरांत यदि बकाया वास्तविक हो तो भुगतान किया जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापक 21/पटना, दिनांक 26-08-14

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)

2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

26/08/14

निदेशक

आवंटन विवरणी

एष्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम बिन्दू आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन थापन भता	01-04 मकान किराया भता	01-05 परिवहन भता	01-06 चिकित्सा भता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपत्ति	11-01 धात्रा व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवारं	कुल योग
1	1	1686000	1686000	337200	10000	16000	3735200	-	10000	-	3745200
2	2	1084000	1084000	81300		12800	2262100	-	10000	-	2272100
3	3	634000	634000	45000		5400	1318400	-	10000	-	1328400
4	4	1500000	1500000	112500		11200	3123700	12000	10000	-	3145700
5	5	604000	604000	47800		7200	1263000	-	10000	-	1273000
5	5	1070000	1070000	80250		12800	2233050	-	10000	-	2243050
7	7	306000	306000	25450		3600	641050	-	5000	-	646050
3	3	1760000	1760000	132000		17600	3669600	-	10000	-	3679600
9	9	610000	610000	48250		5400	1273650	-	10000	-	1283650
0	0	260000	260000	22000		2600	544600	-	5000	-	549600
1	1	946000	946000	73450		9600	1975050	-	10000	-	1985050
2	2	1162000	1162000	87150		9600	2420750	-	10000	-	2430750
3	3	850000	850000	57500		5400	1762900	-	10000	-	1772900
4	4	800000	800000	47500		6400	1653900	-	10000	-	1663900

(Handwritten mark)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	28-01	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
15	मुजफ्फरपुर	1040000	1040000	70500	11200	11200	2161700	-	10000	-	2171700
16	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	1150000	1150000	86250	11200	11200	2397450	-	10000	-	2407450
17	प० चम्पारण(वेतिया)	1126000	1126000	84450	11200	11200	2347650	-	10000	-	2357650
18	सीतामढ़ी	642000	642000	50650	7400	7400	1342050	-	10000	-	1352050
19	शिवहर	360000	360000	29500	4200	4200	753700	-	10000	-	763700
20	वैशाली	1066000	1066000	79950	9600	9600	2221550	-	10000	-	2231550
21	दरभंगा	894000	894000	69500	9600	9600	1867100	-	10000	-	1877100
22	मधुबनी	806000	806000	62900	9600	9600	1684500	-	10000	-	1694500
23	समस्तीपुर	884000	884000	66300	9600	9600	1843900	-	10000	-	1853900
24	मुंगेर	630000	630000	49750	7400	7400	1317150	-	10000	-	1327150
25	जमुई	260000	260000	22000	26000	26000	568000	-	10000	-	578000
26	बेगूसराय	740000	740000	58000	8000	8000	1546000	-	10000	-	1556000
27	खगड़िया	472000	472000	37900	7200	7200	989100	-	10000	-	999100
28	भागलपुर	600000	600000	47500	8400	8400	1255900	-	10000	-	1265900
29	बाँका	260000	260000	22000	26000	26000	544600	-	5000	-	549600
30	सहरसा	260000	260000	22000	26000	26000	544600	-	5000	-	549600
31	मधेपुरा	260000	260000	19500	16000	16000	541100	-	5000	-	546100

(4)

100

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिनहे आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	योग - 01-01 एवं 01-06	06-01	11-01	28-01	कुल योग
		वैतन	जीवन यापन भत्ता	भकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
32	पूर्विया	948000	948000	66100		9400	1971500	-	10000	-	1981500
33	कटिहार	990000	990000	66700		11200	2057900	-	10000	-	2067900
34	लखीसराय	260000	260000	24000		2400	546400	-	5000	-	551400
35	शेखपुरा	260000	260000	24000		2400	546400	-	5000	-	551400
36	सुपौल	260000	260000	24000		2400	546400	-	5000	-	551400
37	किशनगंज	260000	260000	24000		2400	546400	-	5000	-	551400
38	अररिया	260000	260000	24000		2400	546400	-	5000	-	551400
	कुल योग:-	27960000	27960000	2328800	10000	305600	58564400	12000	330000	-	58906400

पाँच करोड़ नवासी लाख छः हजार चार सौ रुपये मात्र।

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

